

# ALL UNIONS AND ASSOCIATIONS OF BSNL (AUAB)

---

No. UA/2017/40

03.11.208

## परिपत्र

प्रति

जनरल सेक्रेटरीज

AUAB के सभी कांस्टीट्यूइंट्स के

कॉमरेड,

## सेक्रेटरी टेलीकॉम और AUAB के बीच मीटिंग

श्रीमती अरुणा सुंदराराजन, सेक्रेटरी, टेलीकॉम और ऑल यूनियन्स एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (AUAB) के बीच 02.11.2018 को मीटिंग सम्पन्न हुई।

AUAB की ओरसे कॉम पी अभिमन्यु, GS/BSNLEU, कॉम चंदेश्वर सिंह, GS/NFTE, कॉम सेबेस्टिन, GS/SNEA, कॉम प्रह्लाद राय, GS/AIBSNLEA, कॉम रविशील वर्मा, GS/AIGETOA, कॉम सुरेश कुमार, GS/BSNL MS, कॉम रेवती प्रसाद, AGS/BSNL ATM, कॉम राशिद खान, AGS/TEPU, एवं कॉम एच पी सिंह, Dy GS/BSNL OA चर्चा में शामिल हुए।

DOT से श्रीमती अनुराधा मित्रा, मैंबर(F), श्री रविकांत, मैंबर(S), श्री सिवसेलम स्पेशल सेक्रेटरी एवं श्री आर के खंडेलवाल, जॉइंट सेक्रेटरी (एडमिन) ने शिरकत की।

बीएसएनएल मैनेजमेंट साइड से श्री अनुपम श्रीवास्तव, सीएमडी, श्रीमती सुजाता रे, डायरेक्टर(HR), श्री सौरभ त्यागी, सीनियर जीएम(Estt), श्री ए एम गुसा, जीएम(SR) एवं श्री शिव शंकर प्रसाद, डीजीएम (इस्टैब्लिशमेंट) शामिल हुए।

शुरुआत में ही AUAB ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा 24.02.2018 की मीटिंग में दिए गए आश्वासनों के अनुपालन हेतु DOT द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से AUAB को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा।

**3rd PRC** के मुद्दे पर सेक्रेटरी, टेलीकॉम ने आश्वस्त किया कि कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही कैबिनेट नोट भेजा जाएगा। AUAB ने ध्यान दिलाया कि पे रिवीजन का मुद्दा तीन माह में हर हाल में सुलझाना होगा अन्यथा पार्लियामेंट इलेक्शन की घोषणा हो जाने के बाद पे रिवीजन का निराकरण कठिन हो जाएगा। सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे पर DOT की कुछ क्वेरीज हैं जो DOT एक सप्ताह में बीएसएनएल को भेजेगा। बीएसएनएल द्वारा इन क्वेरीज का जवाब देने के बाद इस पर अगली कार्यवाही होगी। AUAB ने मांग की कि कैबिनेट नोट से संबंधित सभी औपचारिकताएं इसी माह पूर्ण कर ली जाए। सेक्रेटरी, टेलीकॉम ने तीव्रता से कार्यवाही का आश्वासन दिया।

4G स्पेक्ट्रम का आवंटन, वास्तविक वेतन पर पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन का भुगतान और पेंशन रिवीजन के मुद्दों पर बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई। **4G स्पेक्ट्रम के संबंध में** एक कैबिनेट नोट आंतरिक-मंत्रालयीन विचार विमर्श हेतु भेज दिया गया है और जल्द ही यह कैबिनेट को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

पे स्केल के अधिकतम की बजाय वास्तविक मूल वेतन पर पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन के भुगतान के मुद्दे की बीएसएनएल के हित मे अनुशंसा कर सकारात्मक नोट अगले सप्ताह डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपैडिचर को DOT द्वारा प्रेषित किया जाएगा। बीएसएनएल से रिटायर्ड कर्मियों के पेंशन रिवीजन के मसले पर पेंशन रिवीजन को कार्यरत कर्मियों के पे रिवीजन से न जोड़ने (delink) के AUAB के तर्क से सेक्रेटरी, टेलीकॉम काफी हद तक सहमत होती प्रतीत हुई। उन्होंने मेंबर (सर्विसेस) को इस मुद्दे पर उनसे तत्काल चर्चा करने हेतु निर्देशित किया। डायरेक्ट रिकूट कर्मियों को 30% सुपरएन्युएशन बेनिफिट्स के मुद्दे पर सेक्रेटरी, टेलीकॉम ने कहा कि इस मुद्दे का निराकरण बीएसएनएल को ही करना है। इस पर सीएमडी ने अतिरिक्त 2% कंसीडर करने हेतु आश्वस्त किया।

सेक्रेटरी टेलीकॉम से मीटिंग पश्चात AUAB की मीटिंग हुई और समीक्षा की गई। मीटिंग ने 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन, पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन का भुगतान और पेंशन रिवीजन के मुद्दों पर हुई चर्चा पर संतोष व्यक्त किया। यद्यपि कल सेक्रेटरी टेलीकॉम का रुख मीटिंग में काफी सकारात्मक रहा, फिर भी मीटिंग में महसूस किया गया कि 3rd पे रिवीजन के मामले में हुई प्रगति संतोष जनक नहीं है।

अतः मीटिंग में AUAB के पूर्व निर्णय अनुसार 14.11.2018 को रेली आयोजित करने का निर्णय लिया गया और कर्मचारियों से इसे प्रभावशाली तरीके से सफल बनाने का आव्हान किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि स्थिति की समीक्षा करने के लिए AUAB की 14.11.2018 को पुनः मीटिंग होगी।

---

## **AUAB के संगठनात्मक निर्णय**

सेक्रेटरी टेलीकॉम से मीटिंग के पूर्व NFTE के कार्यालय में कॉम चंदेश्वर सिंह, GS, NFTE BSNL की अध्यक्षता में AUAB की मीटिंग हुई। सेक्रेटरी टेलीकॉम से मीटिंग में AUAB की रणनीति क्या हो यह तय करने के बाद AUAB की एकता को सुदृढ़ करने और AUAB के सुगम कार्य संचालन हेतु निर्णय लिए गए। विस्तृत रूप से विचार विमर्श पश्चात् सर्वानुमति से निम्नानुसार निर्णय लिए गए।

1. कॉम चंदेश्वर सिंह, GS, NFTE, का AUAB के चेयरमैन के रूप में निर्वाचन हुआ।
2. कॉम पी अभिमन्यु, GS, BSNLEU, AUAB के कन्वेनर चयनित हुए।
3. सभी आंदोलन के नोटिस AUAB के सभी घटकों के जनरल सेक्रेटरीज के हस्ताक्षर से दिए जाएंगे।
4. अन्य सभी पत्र/ बीएसएनएल मैनेजमेंट/DOT/गवर्नमेंट से पत्राचार पर चेयरमैन व कन्वेनर के हस्ताक्षर होंगे।
5. AUAB का सभी सर्किल और जिला स्तर पर गठन किया जाए, यदि अभी तक न हुआ हो। सर्किल और जिला में भी चेयरमैन और कन्वेनर के पद हेतु चयन ऑल इंडिया लेवल पर अपनाए गए तरीके से ही किया जाए।